न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या– 2014/00064
वर्ज रजि. कमांक – 246/2014

नाथूलाल पिता दयाला जाति रेगर निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां
प्रकरण संख्या प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.09.2014

उपस्थित वक्त बहस–(1). रमेश जैन– अधिवक्ता अपीलांट
(2) पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 05.01.2023**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पीपल्या तहसील नैनवां की आराजी सख्या 121 रकबा 10 बीघा स्थित है जो वादी अपीलांट की गैर खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है एवं वादी अपीलांट उक्त आराजीयात पर कई वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी अपीलांट की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने को आमादा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादी अपीलांट की उक्त आराजीयात पर वादी अपीलांट के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी पैदा नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावें।

2. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता

उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण द्वारा पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र सिद्ध नहीं होना मानते हुए दिनांक 28.07.2009 को वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा मे प्रकरण संख्या ए.डी./04/2010 के रूप मे दर्ज होकर दिनांक 31.01.2013 को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.07.2009 निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात मे वादी अपीलांट के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी पैदा नहीं किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

3. प्रार्थी अपीलांट की ओर से दिनांक 06.06.2013 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विवादित आराजीयात को गैर खातेदारी मे दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय फोटोप्रति न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.01.2013 के प्रस्तुत किया जाकर विवादित आराजीयात को प्रार्थी अपीलांट के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार नैनवां को प्रेषित कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार देई को प्रेषित किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की जाच की जाकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया जिस पर नायब तहसीलदार देई की ओर से मूल प्रार्थना पत्र संबंधित पटवारी हल्का को भिजवाया जाकर जांच रिपोर्ट व पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना हेतु प्रेषित पत्रांक 2436/राजस्व दिनांक 24.06.2013 के संबंध मे तहसीलदार नैनवां द्वारा मार्गदर्शन चाहना बताकर तहसीलदार नैनवां को पुनः न्यायालय हाजा के निर्णय व आदेश की पालना हेतु आदेशित किया तत्पश्चात दिनांक 02.09.2014 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण मे तहसीलदार का पक्ष नहीं सुना जाना बताते हुए एवं विवादित आराजीयात को वर्तमान मे अभ्यारण्य क्षेत्र की भूमि होना बताकर कोई परिवर्तन नहीं किया जाना मानते हुए तहसीलदार स्तर से निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार को सूचित किये जाने हेतु लिखा।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02.09.2014 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

5. प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 121 रकबा 10 बीघा मौजा पीपल्या मे स्थित है जिस पर प्रार्थी अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कुछ व्यक्तियों द्वारा विवादित आराजीयात पर हस्तक्षेप करने पर अपीलांट प्रार्थी ने उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 29 दावा/2002 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2009 को खारिज किया जाकर बिना किसी अधिकार के विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.07.2009 की अपील प्रार्थी अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की जो दिनांक 31.01.2013 को न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार की जाकर विवादित आराजीयात का खातेदार अपीलांट को मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की। अपील के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.07.2009 के द्वारा विवादित आराजीयात सिवायचक दर्ज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.07.2009 को निरस्त किये जाने पर अपीलांट प्रार्थी ने विवादित आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व स्थिति कायम नही की जाकर कानूनी बिन्दुओ पर गौर किये बिना ही विवादित भूमि को अभ्यारण्य मे आने के आधार पर ही अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का विधि विरूद्ध निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है जिसके सिवायचक दर्ज होने के पश्चात भी प्रार्थी अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजीयात के जुवारा काश्त की बोली लगाई जाती है। इस प्रकार विवादित भूमि अभ्यारण्य के स्वामित्व की भूमि नहीं होकर प्रार्थी अपीलांट की निजी भूमि है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अभ्यारण्य क्षैत्र मे कई गांव व निजी सम्पत्ति , कृषि भूमि व मकान आये है परन्तु उक्त सम्पत्तियां उसी के आधिपत्य व स्वामित्व मे रहती है जब तक कि उसका अधिग्रहण किया जाकर मुवावजा राशी अदा नहीं की जावे। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.07.2009 से विवादित भूमि जो कि अपीलांट प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज थी जिसे सिवायचक दर्ज किये जाने के पश्चात प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2009 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2013 के द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2009 को निरस्त किये जाने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को पूर्व स्थिति अनुसार प्रार्थी अपीलांट के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकार के कानूनी तथ्यों के विपरीत जाकर विवादित भूमि को प्रार्थी अपीलांट की गैर खातेदारी मे दर्ज नहीं कर तहसीलदार को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02.09.2014 को निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजीयात को पुनः अपीलांट प्रार्थी के गैर खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णित किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत

वादपत्र सिद्ध नहीं होना मानते हुए दिनांक 28.07.2009 को वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा मे प्रकरण संख्या ए.डी./04/2010 के रूप मे दर्ज होकर दिनांक 31.01.2013 को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.07.2009 निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात मे वादी अपीलांट के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी पैदा नहीं किये जाने हेतू स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.01.2013 मे विवादित आराजीयात को प्रार्थी अपीलांट की गैर खातेदारी मे दर्ज किया जाने का किसी प्रकार का आदेश अंकित नहीं होकर मात्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दाद दिया जाना अंकित है जिससे प्रार्थी अपीलांट विवादित आराजीयात को स्वयं के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात को वर्तमान मे अभ्यारण्य क्षेत्र की राजकीय भूमि होना बताकर कोई परिवर्तन नहीं किया जाना मानते हुए तहसीलदार स्तर से निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार को सूचित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02.09.2014 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मे जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है उनमे दो साधारण प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2015 व दिनांक 06.06.2013 के है। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र पर अपीलांट नाथू द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए गए हो यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही नाथू के जिस प्रकार के हस्ताक्षर अपील मेमो मे है वैसे हस्ताक्षर उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर नहीं है जिससे उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो पर नाथू के हस्ताक्षर होना संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2013 के पुश्त पर ही दिनांक 10.06.2013 को उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने तहसीलदार नैनवां को, तहसीलदार नैनवां ने दिनांक 01.01.2013 को नायब तहसीलदार देई को एवं नायब तहसीलदार देई ने मूल ही पटवारी हल्का पीपल्या को प्रेषित कर दिया। साथ ही पटवारी हल्का पीपल्या की ओर से दिनांक 02.06.2014 की एक रिपोर्ट संलग्न है जिसके पीछे ही तहसीलदार नैनवां ने उपखण्ड अधिकारी नैनवां को आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाना अंकित है जिस पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां की ओर से टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। इस कार्यालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात व उसके संबंध मे लम्बित प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने हेतु दिनांक 03.12.2020 एवं दिनांक 04.07.2022 को उपखण्ड अधिकारी नैनवां को पत्र लिखा गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां की ओर से काफी समय बाद दिनांक 22.11.2022 को जवाब प्राप्त हुआ जिसके अनुसार तहसील नैनवां के कार्यालय रेकॉर्ड के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक 02.09.2014 की अपील नहीं किया जाना अंकित है साथ ही मौजा पीपल्या की जमाबंदी सम्वत 2076–79 मे खाता संख्या 1 मे खसरा संख्या 121 रकबा 6180 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 सिवायचक दर्ज रेकॉर्ड है एवं उक्त खसरा संख्या पूर्वमे नाथू वल्द दयाला कौम रेगर गैर खातेदार के रूप मे दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 1152 से सिवायचक दर्ज किया गया। उक्त जवाब के साथ नामान्तरण संख्या 1152 की सत्य प्रतिलिपि एवं अभ्यारण्य के संबंध मे राजस्व विभाग(क) राजस्थान सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ती दिनांक 21.11.1957 की फोटोप्रति संलग्न है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त जवाब पत्र दिनांक 22.11.2022 से भी अपीलांट द्वारा विधि अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजीयात के संबध मे धारा 144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट नहीं हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट ने भी दस्तावेजो के रूप मे केवल उक्त दोनो साधारण प्रार्थना

पत्र होने का कथन किया है। पत्रावली मे कहीं भी विधिवत रूप से प्रस्तुत धारा 144 का प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है। उक्त दोनो साधारण प्रार्थना पत्र संभवतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रशासकीय दृष्टि से पेश किए गए है जिन पर कहीं भी अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है साथ ही प्रार्थी अपीलांट जिस तरह है हस्ताक्षर करता है वैसे हस्ताक्षर भी उक्त दोनो प्रार्थना–पत्रों पर नहीं किए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय मे न तो विधिवत रूप से धारा 144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ और न ही न्यायिक प्रकिया के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलांट को विधिवत रूप से धारा–144 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी अपीलांट विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विधिवत रूप से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार उसका निस्तारण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय से करवाने हेतु स्वतंत्र है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)